

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-4852-औसं/पाकालि/2015-11(1)ए०एस०/13

दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट www.uppcl.org-Personnel पर उपलब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं०-4452-औसं-17/पाकालि/ 2009, दि० 09.12.2002 सपठित आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दि० 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), अलीगढ़ क्षेत्र, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अलीगढ़ के पत्र संख्या-9137/मु०अ०मे०क्षे०/व०/चिकित्सा प्रतिपूर्ति मान्यता दिनांक 25.07.2013 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों एवं मुख्य अभियन्ता (वितरण), अलीगढ़ के पत्रांक-14835/मु०अ०मे०क्षे०/चिकित्सा दिनांक 20.11.2015 द्वारा वाँछित अन्य अभिलेख तथा चिकित्सालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त 30.04.2016 तक पंजीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अस्पतालों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस० मानक दरों पर एतद्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है :-

- 1- रुसा मेडिकल सेण्टर, आगरा रोड, अलीगढ़, मोबाइल नं०-08941095341। (पंजीकरण संख्या-540/एलोपेथी)
- 2- वरुण ट्रामा व बर्न सेण्टर प्राईवेट लि०, रामघाट रोड, अलीगढ़, मोबाइल नं०-9537070233 (पंजीकरण संख्या-539/एलोपेथी)

उपर्युक्त चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088-एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार) 29-एन०जी०-2/78, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा।

- 1- अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होंगे। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
- 2- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
- 3- चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी :-
 - (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
 - (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
 - (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
 - (घ) कार्मिक का वेतनमान।
 - (ङ) रोग का नाम (डाइग्नोसिस)।
 - (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।
- 4- कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की वेब साइट www.uppcl.org/Medical पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।

Nat Mathur
15.12.15

...2...

- 5- यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु रू0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
- 6- निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-4852-(1) औस/पाकालि/2015-तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 3- निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेटर प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- ✓ 12- अधिशाली अभियन्ता(वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
- 13- सलाहकार (चिकित्सा) (उत्पादन निगम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14- प्रबन्धक, सम्बन्धित चिकित्सालय।
- 15- मुख्य चिकित्साधिकारी, अलीगढ़।
- 16- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 17- कट फाइल।

Nat Mathu
15.12.18

(नवनीत माथुर)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी